न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

निर्णय दिनांक
12.12.2022

दावा सं0
137/2021

दायर दिनांक
23.09.2015

उनवान

1. नूरी बेवा अब्दुल रहीम

1/2. जाकर

1/3. सद्दम पुत्रान अब्दुल रहीम

1/4. मकसूदन

1/5. धौली

1/6. फरमीना पुत्रीयान अब्दुलरहीम जाति मेव निवासी मिर्जापुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:—वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,89 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थितिः—

1. वादी की ओर से राजेश शर्मा जी वकील
2. प्रति0 की ओर से जवाब सरकार

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल ख0नं0 171/0.32, 172/0.44, 173/0.54, 174/0.43 किता 4 रकबा 1.73 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हाल ख0नं0 171/0.32, 172/0.44, 173/0.54, 174/0.43 साबिक ख0नं0 308/6–17 बिस्वा से पैमूद हुए है। नकल जमाबन्दी सं0 2016 के खाता संख्या 8 पर ख0नं0 308/6–17 बिस्वा पर पिता वादीगण अब्दुलरहीम(मृतक) पुत्र सुब्बन को 1–14 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया हुआ है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत् 2029 में हाल खसरा नंबरान पैमूद करते हुये मिसल हकीयत के कालम नं0 5 में दीगर सहखातेदारान का अंकन करते हुये वादीगण के पिता के नाम का अंकन नही किया केवल वादी के दादा सुब्बत को सुब्बन दर्ज कर दिया जबकि साबिक इन्द्राज अनुसार अब्दुलरहीम पुत्र सुब्बत दर्ज किया जाना चाहिये था। जो इन्द्राज काबिल दुरूस्ती के है।

विवादित आराजी पर पूर्व में हम वादीगण के बुजुर्ग मृतक सुब्बत पुत्र गूंगा की खातेदारी में था जिस पर वो अपने जीवनकाल में काबिज रहा उनकी मृत्यु के पश्चात् पिता वादीगण अब्दुल रहीम पुत्र सुब्बत काबिज काश्त रहा तथा उनके फौत होने के पश्चात् हम वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण विवादित आरजी के रकबा 1–14 बिस्वा पर सदैव से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे । मौके पर वास्तविक कब्जा है लेकिन भू–प्रबंधक विभाग द्वारा मिसल कीयत कायम करते वक्त सहवन से हम वीदगण के बुजुर्गान सुब्बत का नाम सुब्बन दर्ज कर दिया तथा उसके पिता का नाम दर्ज नही किया गया ऐसी सूरत में सेटलमेन्ट कर्मचारियान व अधिकारियान अंकन करने का कोई अधिकार नही थी उन्हे साबिक रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज को ही दोहराना चाहिये था। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान हम प्रतिवादीगण को सर्वप्रथम जब हुआ तब हम पटवारी हल्का के पास लोन हेतु पत्रावली तैयार कराने दिनांक 2.09.21 को गये तो पटवारी हल्का ने हमें इस गलत इन्द्राज की जानकारी दी । जिस पर मह वादीगण ने जमाबन्दीयात की नकले लेकर अपने वकील साहब से सर्म्पक किया तो उन्होने दुरूस्ती हेतु दावा दायर करने की सलाह दी।

इश्तकारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की पारित की जावे कि आ0ख0नं0 हाल ख0नं0 171/0.32, 172/0.44, 173/0.54, 174/0.43 किता 4 रकबा 1.73 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास के रकबा 1–14 बिस्वा का वादीगण मृतक सुब्बत उर्फ सुब्बन के विधिक वारिसान होने के नाते काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कराकर वादीगण अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है।

डिक्री दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो सुब्बन पुत्र दर्ज है उसे हजफ कराकर सुब्बत पुत्र गूंगा व उसके पश्चात् अब्दुल रहीम पुत्र सुब्बत दुरूस्त कराकर वादीगण काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील होने पर सरकार पक्ष की ओर से पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

सरकार जवाब नायब तहसीलदार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुये उन्होने व्यक्त किया कि दावा हाजा में राजहित नही है। अर्थात उन्हे इस संबध के कुछ नही कहना है। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई । वादीया ने साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र पीडब्लू–1, जाकर पीडब्लू–2 जहांज खां, पीडब्लू–3 हारून खां पुत्र सलेम खां पेश किये।

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2016 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, खतौनी जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी खतोनी संवत 2016 प्रदर्श– 7 ए , मृत्यु प्रमाण पत्र छाया प्रति अब्दुल रहीम पेश किये है।

वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2016 प्रदर्श –2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख0न0 308 रकबा 6 बीघा 17 पर वादीगण के पिता अब्दुल्लरहीम पुत्र सुब्बत कस्टे 1–14 बिस्वा का अमल हुआ हैं लेकिन भू–प्रबधक विभाग द्वारा मिसल हकीयत पैमूद करते हुए वादीगण के पिता के नाम का अंकन नही किया केवल वादी के दादा सुब्बत को सुब्बन दर्ज कर दिया जबकि साबिक इन्द्राज के अनुसार सुब्बत दर्ज किया जाना चाहियें था जो इन्द्राज काबिल दुरूस्ती है। वादी द्वारा पेश शजरा से भी वादीगण के दादा का नाम सुब्बन के स्थान पर सुब्बत साबित होता है। साबिक रिकार्ड एवं आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पेश किये है। उन सभी में वादीगण की वल्दियत अब्दुलरहीम दर्ज है। समस्त दस्तावेजो से यह बाखूबी साबित होता है कि वादी के पिता की वल्दीयत अब्दुलरहीम व दादा के नाम सुब्बत के स्थान पर सुब्बत है इस कथन की पुष्टि वादी ने साक्ष्य में जो शपथ पत्र पेश किये हैउनसे होती है। वाद वादी भली भांति सिद्व होता है। जो काबिले डिक्री करार पाता है। अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि आ0ख0नं0 हाल ख0नं0 171/0.32, 172/0.44, 173/0.54, 174/0.43 किता 4 रकबा 1.73 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो **सब्बन पुत्र** दर्ज है को हजफ किया जाकर सुब्बत पुत्र गूगां व उसके पश्चात अब्दुलरहीम पुत्र सुब्बत दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0
137/2021

दायर दिनांक
23.09.2015

निर्णय दिनांक
12.12.2022

1. नूरी बेवा अब्दुल रहीम
1/2. जाकर
1/3. सद्दम पुत्रान अब्दुल रहीम
1/4. मकसूदन
1/5. धौली
1/6. फरमीना पुत्रीयान अब्दुलरहीम जाति मेव निवासी मिर्जापुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

उनवान

:—वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,89 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थितिः—

1. वादी की ओर से राजेश शर्मा जी वकील
2. प्रति0 की ओर से जवाब सरकार

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि आ0ख0नं0 हाल ख0नं0 171/0.32, 172/0.44, 173/0.54, 174/0.43 किता 4 रकबा 1.73 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो **सब्बन पुत्र** दर्ज है को हजफ किया जाकर सुब्बत पुत्र गूगां व उसके पश्चात अब्दुलरहीम पुत्र सुब्बत दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)